भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4539
(23 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीब लोगों के जीवन स्तर के मानक को सुधारना

4539. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में गरीब लोगों के जीवन स्तर के मानकों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता हासिल की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यतः जीविका अवसरों में वृद्धि, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, अवसंरचना विकास इत्यादि पर जोर देते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न बहुद्देश्यीय कार्यनीतियां अपनाई हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों की उपलब्धियों सहित इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: इस योजना का मूल उद्देश्य अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर परिवारों की जीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसमें लाभार्थियों को त्म-निर्भर बनाने के लिए टिकाऊ और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जाता है। दिनांक 16.03.2021 तक की स्थिति के

अनुसार, 15 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे कुल 29.03 करोड़ कामगार कवर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत लगभग 371 करोड़ श्रम-दिवसों के रोजगार का सृजन हु है।

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम): यह मंत्रालय वर्ष 2011 से पूरे देश में दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एन रएलएम) का कार्यान्वयन मिशन के रूप में इस उद्देश्य से कर रहा है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल करके उन्हें र्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और सहायता तब तक प्रदान किए जाएं जब तक कि वे जीवन-स्तर में सुधार होने और घोर गरीबी से उबरने के लिए समय के साथ अपनी य में पर्याप्त वृद्धि न कर लें। इसके अतिरिक्त, डीएवाई-एन रएलएम के अंतर्गत स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) नामक उप-योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में ग्राम स्तर पर लघु उद्यम स्थापित करने में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिजनों की सहायता करना है। दिनांक 19 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, 7.35 करोड़ महिलाओं को 66.6 लाख स्व-सहायता समूहों, 3.86 लाख ग्राम संगठनों और 0.34 लाख क्लस्टर स्तरीय संघों के रूप में संगठित किया गया है। स्व-सहायता समूहों के लिए कुल मिलाकर 3.54 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण जुटाए गए हैं। इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए 96 हजार जीविका संसाधन व्यक्तियों सहित 3.22 लाख सामुदायिक स्तरीय संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लाभार्थियों के घर-द्वार तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट कहे जाने वाले अर्ध-बैंकिंग कार्मिकों के रूप में 21.8 हजार को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। श्रेणी I के 250 जिलों में 5808.41 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी गई है। इस कार्यक्रम में 1.1 करोड़ महिलाओं को कृषि-पारिस्थितिकीय पद्धतियों के लिए, 2.87 लाख महिलाओं को उत्पादक उद्यमों के सदस्यों के रूप में संगठित किया गया है। गैर-कृषि उद्यमों के क्षेत्र में, 1.34 लाख नए उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

विश्व बैंक की सहायता से अंतरराष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3ie) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एन रएलएम) के समग्र प्रभाव के निर्धारण के लिए 2019 में अध्ययन किया था। इस निर्धारण में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नामक 9 राज्यों के लगभग 27,000 उत्तरदाताओं और 5000 स्व-सहायता समूहों को शामिल किया गया। इस मूल्यांकन में यह दर्शाया गया है कि इस मिशन के 2.5 वर्ष के अतिरिक्त कार्यान्वयन से उपचार क्षेत्रों में य में धारभूत राशि की तुलना में 19 प्रतिशत से

अधिक की वृद्धि हुई है, अनौपचारिक ऋणों के अंश में 20 प्रतिशत की कमी ई है, बचत में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, श्रम शक्ति में भागीदारी में सुधार हु -अन्य व्यवसाय की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि (4 प्रतिशत) हुई, अन्य योजनाओं के लाभों की उपलब्धता में वृद्धि-उपचार परिवारों में सामाजिक योजनाओं के लाभ पाने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि (2.8 योजनाओं की बेस वैल्यू की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि) हुई।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एन रएलएम के अंतर्गत सितम्बर, 2014 से चलाया जा रहा रोजगार से संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (रएसईटी ई) के माध्यम से कौशल विकास भी किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षु बैंक ऋण लेकर स्वयं अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू कर पाए। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन वाले रोजगार भी खोज सकते हैं। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य मजदूरी या स्वरोजगार के लिए ग्रामीण निर्धन युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है जिससे ग्रामीण जीविका की अड़चनों को दूर करके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण य को सुदृढ़ करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के र्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले। इस योजना के अंतर्गत 10.30 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 6.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (28.02.2021 तक की स्थिति के अनुसार) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत 65,694 के लक्ष्य में से 20,946 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 44,338 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है। रएसईटी ई के अंतर्गत 31.04 लाख प्रशिक्षुओं को कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 25.72 लाख व्यक्तियों के स्व-रोजगार शुरू कराए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (28.02.2021 तक की स्थिति के अनुसार) 2,42,040 के लक्ष्य में से 2,03,643 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 1,27,108 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 की स्थिति के कारण प्रशिक्षण कार्यकलाप काफी लंबे समय तक निलंबित रहे, जिससे अभीष्ट प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को धारभूत सुविधाओं सहित पक्का वास वर्ष 2022 तक प्रदान करना है। "सभी के लिए वास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021-22 तक बनाए जाने वाले मकानों की लक्षित संख्या 2.95 करोड़ है। इस लक्ष्य में से 1.91 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं और 1.33 करोड़ मकान बनाए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 18.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार (वाससॉफ्ट की ए2 रिपोर्ट के अनुसार), इस योजना के अंतर्गत 58,26,577 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और 29,34,100 मकानों का निर्माण किया गया है।

(v) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** पीएमजीएसवाई की शुरू त वर्ष 2000 में उन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी जो सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं। इस योजना के उद्देश्य को बाद में व्यापक बनाया गया और मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए नए कार्यकलापों अर्थात पीएमजीएसवाई -II और पीएमजीएसवाई -III को शामिल किया गया था जो बसावटों को विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं से जोड़ती हैं। वर्तमान पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन ने विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं, बाजार स्थल और विभिन्न रूपों में रोजगार के अवसरों तक ग्रामीण जनता को पहुँच प्रदान कर उनकी सामाजिक- थिक स्थितियों में सुधार करने में काफी सहायता की है। इस योजना के अंतर्गत, प्रारंभ से 28.02.2021 तक 7,50,673 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 6,51,785 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है।

(vi) **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम):** श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएम रएम) का शुभारंभ फरवरी 2016 में किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय थिक विकास को प्रोत्साहित करना, धारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और योजनाबद्ध रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। इस मिशन में क्लस्टर को विकास की इकाई माना जाता है। मिशन के पहले चरण में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 300 कलस्टरों को जनजातीय और गैर-जनजातीय श्रेणियों में शामिल किया गया है। एसपीएम रएम उन परियोजनाओं को अनिवार्य पूरक वित्तपोषण प्रदान करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थिक विकास लाती हैं। एसपीएम रएम का उद्देश्य चार श्रेणियों अर्थात् धारभूत, थिक, सामाजिक और डिजिटल में सुविधाएं प्रदान करना है और सामाजिक समावेशन के साथ एकीकृत और संतुलित निवेशों के

माध्यम से □र्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एसपीएम□रएम के अंतर्गत 300 रूर्बन क्लस्टरों में से 293 क्लस्टर निर्धारित किए गए हैं, 290 समेकित क्लस्टर कार्य योजनाएं (□ईसीएपी) अनुमोदित की गई हैं और अब तक 281 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपी□र) अनुमोदित की गई हैं।

(vii) **सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)**: सांसद □दर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ दिनांक 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। एसएजीवाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत, कोई अतिरिक्त निधि □वंटन किए बिना संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं के प्रभावी तालमेल और कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। एसएजीवाई के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्य के मार्गदर्शन में भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं। इस वीडीपी में गांवों के सर्वांगीण और समेकित विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त समयबद्ध कार्यकलापों का उल्लेख किया जाता है। राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एसएजीवाई के अंतर्गत निर्धारित 2070 ग्राम पंचायतों में से 1587 ग्राम पंचायतों ने एसएजीवाई वेबसाइट पर अपनी वीडीपी अपलोड कर दी हैं जिनमें 77,645 परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है और 49,139 परियोजनाओं का कार्यान्वयन 18.03.2021 तक संपन्न हो चुका है।

इसके अलावा, □वासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अभावग्रस्तता को सतत □धार पर कम करने के लिए ''दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी □जीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)'' नामक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस मिशन का उद्देश्य लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर पाने में शहरी गरीबों की सहायता करना है। लाभदायक स्वरोजगार उपक्रम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों/उनके समूहों/स्वसहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2014-15 से 01 मार्च, 2021 तक 10,31,435 शहरी गरीबों की रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 5,45,142 कौशल प्रशिक्षण पाने वालों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दिया गया है। व्यक्तिगत या सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 5,52,081 लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के प्रावधान के साथ ऋण संवितरित

किए गए हैं। □ य में वृद्धि के लिए कार्यकलाप शुरू करने हेतु एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 5,36,478 स्वसहायता समूह गठित किए गए हैं, 3,30,900 स्वसहायता समूहों को परिक्रामी निधि की सहायता दी गई है और 6,06,545 ऋण संवितरित किए गए हैं। 3,315 शहरों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर सर्वे पूरा किया गया है, जिसमें 42,72,575 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है और 24,36,925 स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। शहरी बेघरों के लिए 2,257 □ श्रय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,582 □ श्रय कार्यरत हैं।

*****